295

संख्याः–476/XIV–1/2014–5(42)/2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनांक २५, जून, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्याः–23/नियो0/प्रशिक्षण/2014–15 दिनांक 01 अप्रैल, 2014 व पत्र संख्या–1113/नियो0/प्रशिक्षण/2014–15 दिनांक 24 मई, 2014 एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्याः–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 व अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014–15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि में से **रूपये 2,50,000/–(रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों/मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ तथा कोषागार का नाम व वाउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च 2014 का व समय–समय पर निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन निबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) व्यय का योजनावार मासिक विवरण ठीक अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग, शासन तथा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता

नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–003–प्रशिक्षण–06–सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान–00–की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0:–28(P)/XXVII(4)/2014 दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्याः– 476 (1)/XIV–1/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।